



## छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ,रायपुर

“छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक,यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम,1970  
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित”

{ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय }  
रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर  
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165, 094255 03168 (मोबाईल)

वेबसाईट - [www.cgaupcb.in](http://www.cgaupcb.in), ई-मेल - [registrar@cgaupcb.in](mailto:registrar@cgaupcb.in)

### बोर्ड द्वारा 01 जुलाई 2014 से लिये जाने वाले फीस का विवरण

क्रमांक	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
1.	समस्त प्रकार के आवेदन फार्म शुल्क	100 = 00
2.	स्थायी पंजीयन शुल्क (स्थायी पंजीयन शुल्क की राशि केवल मनीआर्डर द्वारा स्वीकार किया जाता है )	100 = 00
3.	अस्थायी पंजीयन शुल्क	100 = 00
4.	संदान राशि (अ) अस्थायी पंजीयन हेतु आवेदकों के लिए:- (ब) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो कि इस बोर्ड में अस्थायी पंजीकृत हैं, उनके लिए :- (स) प्रदेश से बाहर के विश्वविद्यालयों से चिकित्सकीय अर्हता धारी व्यवसायी, जो इस बोर्ड में स्थायी पंजीयन हेतु आवेदक हैं, उनके लिए :-	500 = 00 1000 = 00 2000 = 00
5.	प्रदेश के बाहर की अर्हता के लिये सत्यापन शुल्क	1000 = 00
6.	अन्य बोर्ड/परिषद से पंजीयन सत्यापन के लिये सत्यापन शुल्क	1000 = 00
7.	डाक व्यय शुल्क	250 = 00
8.	योग्यता वृद्धि शुल्क (केवल मनीआर्डर द्वारा स्वीकार किया जावेगा)	05 = 00
9.	डुप्लीकेट प्रमाण पत्र शुल्क	05 = 00
10.	नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क	500 = 00
11.	अन्य किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए शुल्क (निर्धारित पंजीयन प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त)	500 = 00
12.	कोई भी पुनरावेदन (अपील) हेतु शुल्क	1000 = 00



क्रमांक	विवरण	शुल्क राशि (रूपयों में)
12.	<p>विलम्ब शुल्क :- निर्धारित अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित तिथि अथवा इन्टरनेषिप पूर्ण करने की अंतिम तिथि के आधार पर :-</p> <p>01. उक्त तिथि से छः माह तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं है :-</p> <p>02. उक्त निर्धारित तिथि से छः माह से अधिक तथा एक वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-</p> <p>03. उक्त निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक तथा दो वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-</p> <p>04. उक्त निर्धारित तिथि से दो वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम समय हो तो विलम्ब शुल्क :-</p> <p>05. उक्त निर्धारित तिथि से पांच वर्ष अधिक समय तक पंजीयन नहीं हुआ हो तो ऐसे प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें बोर्ड का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।</p>	<p>00 = 00</p> <p>300 = 00</p> <p>600 = 00</p> <p>1200 = 00</p>

(डॉ. रक्षपाल गुप्ता)  
रजिस्ट्रार  
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा  
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

\*\*\*